रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-01/2026/2242/22-2-2025-17(1071)/2023
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक (बन्दी संख्या-121/2018) पुत्र श्री लालाराम, निवासी-मसेनी, थाना-को0 फतेहगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद, जिसे सत्र परीक्षण संख्या- 265/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-**3**, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 26.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा बंदी की अपील उक्त सजा को यथावत रखा गया एवं सत्र परीक्षण सं**0**-287/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-**03**, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 28.02.2004 द्वारा द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की राजा को यथावत रखा गया। प्रथम केस में दिनांक 28.10.2025 तक अपरिहार 27 वर्ष 02 माह 16 दिन तथा सपरिहार 32 वर्ष, 05 माह 04 दिन तथा द्वितीय केस में अपरिहार 27 वर्ष, 02 माह. 01 दिन तथा सपरिहार सजा 32 वर्ष 4 माह 19 दिन की सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-01/2026/2242(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री यशार्थ कान्त, एडवोकेट ऑन रिकार्ड माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या 10847/2025 अलवर धानुक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 04.11.2025 के सन्दर्भ में **द्वारा नोडल अधिकारी/अधीक्षक**, **जिला कारागार**, **गाजियाबाद।**
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
4- पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या 10847/2025 अलवर धानुक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 04.11.2025 के सन्दर्भ में।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in